

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 310

12 दिसंबर, 2018 को उत्तर के लिए

इस्पात संयंत्रों में सुरक्षा हेतु उठाए गए कदम

310. श्री राम विचार नेताम:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के भिलाई स्टील प्लांट में गैस पाइप लाइन के विस्फोट की हालिया घटना ने कई कर्मचारियों को प्रभावित किया है और जिसके परिणामस्वरूप अनेक कर्मचारियों की मौत हुई है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या इस मामले की कोई जांच करवाई गई है;
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और परिणाम क्या है; और
- (ङ) सरकार द्वारा इस्पात संयंत्रों में सुरक्षा के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री

(श्री विष्णु देव साय)

(क) और (ख): स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) के भिलाई इस्पात संयंत्र (बीएसपी) में दिनांक 09.10.2018 को लगभग +10 मीटर स्तर पर कोक ओवन बैटरी (सीओबी) #11 के पीछे कॉलम सी-50 पर स्थित 1800 एमएम डायमीटर की कोक ओवन गैस लाइन की डी-ब्लैकिंग के लिए एक प्रोटोकॉल कार्य शुरू किया गया था। प्रोटोकॉल के अनुसार विभिन्न एजेंसियों से आवश्यक मंजूरियाँ लेने के साथ ही नेटवर्क दबाव में भी कमी की गई थी। ब्लैक प्लेट हटाने के बाद रिंग पैकिंग के प्रवेश की तैयारी चल रही थी। उसी समय आग लग गई और पर्यावरण प्रबंधन विभाग (ईएमडी) के कर्मचारी तथा इस कार्य के लिए लगाई गई फायर ब्रिगेड आग की पकड़ में आ गई। परिणामस्वरूप, 9 लोगों की मौके

पर ही मृत्यु हो गई और 5 लोगो ने भिलाई स्थित जवाहरलाल नेहरू (जेएलएन) अस्पताल में अपनी चोटों के इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।

(ग) और (घ): घटना के कारणों को जाँचने और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने तथा जिम्मेदारी तय करने के लिए सेल द्वारा सेल के विभिन्न संयंत्रों से विशेषज्ञों की एक जाँच समिति का गठन किया गया था। इसी प्रकार, दुर्घटना के कारणों की स्वतंत्र जाँच करने के लिए इस्पात मंत्रालय द्वारा एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया। दोनों समितियों की रिपोर्ट प्रस्तुत की जा चुकी हैं।

(ङ): सेल और आरआईएनएल, दोनों ने दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए कई उपाय किए हैं। इन उपायों के साथ-साथ, शिड्यूल के रख-रखाव का अनुपालन, सुरक्षा प्रबंधन के लिए सुव्यस्थित उचित पहुँच पर जोर देना, सुरक्षा पद्धतियों का दृढ़ अनुपालन, नियमित निरीक्षण, सुरक्षा जागरूकता हेतु अनिवार्य प्रशिक्षण तथा विशेष प्रशिक्षण, सुरक्षा परीक्षण का संचालन करना, निजी सुरक्षा उपकरणों के उपयोग पर जोर देना और कारखाना अधिनियम, 1948 के प्रावधानों के अनुरूप तैयार की गई आपात योजना का उचित कार्यान्वयन आदि का अनुपालन भी शामिल है। इसके अतिरिक्त, गत दिनों हुई दुर्घटना के आकलन के आधार पर अच्छे अभ्यास से सीखने की सहूलियत के उद्देश्य से क्षेत्र विशेष की सुरक्षा संबंधी कार्यशाला आयोजित की गई जिसमें सभी प्रमुख इस्पात उत्पादक सम्मिलित हुए।
